

33. छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी.जी.टी.ई.टी.)

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के धारा 23 (1) के अनुसार कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के पात्रता हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा न्यूनतम योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं। इन न्यूनतम योग्यताओं में अकादमिक एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ-साथ प्रतिभागियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण करना अनिवार्य घोषित किया गया है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा किया जाता है।

आवश्यक अर्हता :-

(1) एक से पाँच तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु -

(क) न्यूनतम 50 % अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो) में प्रवेशित एवं अध्ययनरत् अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 45 % अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो) जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रिया विधि) विनियम, 2002 के अनुसार हो, में प्रवेशित एवं अध्ययनरत् अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 50 % अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.) में प्रवेशित एवं अध्ययनरत् अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 50 % अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा में प्रवेशित एवं अध्ययनरत् अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो) में प्रवेशित एवं अध्ययनरत् अथवा उत्तीर्ण।

(2) कक्षा छः से आठ तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु -

(क) स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो) में प्रवेशित एवं अध्ययनरत् अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 50 % अंको के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.) अथवा द्विवर्षीय स्नातक (बी.एड.) में प्रवेशित एवं अध्ययनरत् अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 45 % अंको के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय बी.एड. उत्तीर्ण अथवा द्विवर्षीय स्नातक (बी.एड.) में प्रवेशित एवं अध्ययनरत् अथवा उत्तीर्ण जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50 % अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.) में प्रवेशित एवं अध्ययनरत् अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 50 % अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.एड. या बी.ए. एड./बी.एस.सी.एड. के अंतिम वर्ष में प्रवेशित अध्ययनरत् अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 50 % अंको के साथ स्नातक तथा एकवर्षीय स्नातक बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा द्विवर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा) में प्रवेशित अध्ययनरत् अथवा उत्तीर्ण।

नोट—

(अ) अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम : इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षाशास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बीएड (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा।

(आ) विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना : वह व्यक्ति जिसके पास डी.एड. (विशेष शिक्षा) या बी.एड. (विशेष शिक्षा) की योग्यता है, उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त छः माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(इ) एनसीटीई अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई, 2011 में वर्णित किसी भी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम (एनसीटीई अथवा आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त, जैसा भी मामला हो) को करने वाला व्यक्ति सीजीटीईटी में शामिल होने के लिए पात्र होगा।

आवेदन प्रक्रिया :-

अभ्यर्थी को आवेदन पत्र व्यापम के वेबसाइट <https://vyapamcg.cgstate.gov.in> पर ऑनलाईन करना होता है। ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाते हैं।

परीक्षा योजना :-

1. शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं तथा इसमें गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक नहीं दिये जाते हैं।
2. शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल दो प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम पेपर में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण घोषित किये गये अभ्यर्थी कक्षा पहली से कक्षा पांचवी तक के अध्यापन के लिये पात्र होते हैं, जबकि द्वितीय पेपर में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण घोषित किये गये अभ्यर्थी कक्षा छठवीं से कक्षा आठवीं तक के अध्यापन के लिये पात्र होते हैं।

टीप – निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी दोनों प्रश्न पत्र दिला सकते हैं।

प्रथम पेपर (कक्षा पहली से कक्षा पांचवीं तक अध्यापन पात्रता हेतु) सभी भाग अनिवार्य –

क्र.	विषय का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल समय
1.	बाल विकास एवं पेडॉगॉजी	30	30	2.30 घंटा
2.	भाषा-1 (हिन्दी)	30	30	
3.	भाषा-2 (अंग्रेजी)	30	30	
4.	गणित	30	30	
5.	पर्यावरण अध्ययन	30	30	
	योग	150	150	

द्वितीय पेपर (कक्षा छठवीं से कक्षा आठवीं तक अध्यापन पात्रता हेतु) –

क्र.	विषय का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल समय
1.	बाल विकास एवं पेडॉगॉजी (अनिवार्य)	30	30	2.30 घंटा
2.	भाषा-1 (हिन्दी) (अनिवार्य)	30	30	
3.	भाषा-2 (अंग्रेजी) (अनिवार्य)	30	30	
4.	विषय आधारित परीक्षा (इनमें से कोई एक)	—	—	
	4.1 विज्ञान एवं गणित विषय शिक्षक	60	60	
	4.2 सामाजिक अध्ययन विषयक शिक्षक	60	60	
	4.3 अन्य कोई विषय शिक्षक	4.1 या 4.2 में से कोई भी		
	योग	150	150	

प्रश्नपत्र की पाठ्यक्रम –

प्रथम पेपर कक्षा पहली से कक्षा पांचवीं तक अध्यापन हेतु –

1. बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र – इस विषय से संबंधित प्रश्न 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों की शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सिखने और सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होता है।
2. भाषा-1 हिन्दी – इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षकों की भाषायी क्षमता, समझ एवं संप्रेषण कौशल के साथ-साथ दैनिक जीवन में भाषा के उपयोग का परीक्षण किया जाता है।
3. भाषा-2 (अंग्रेजी) – अंग्रेजी भाषा के कक्षा बारहवीं तक के स्तर तक के प्रश्न होते हैं।
4. गणित – गणित के प्रश्न कक्षा पहली से कक्षा पांचवीं तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होता है।
5. पर्यावरण अध्ययन – इसके प्रश्न कक्षा पहली से कक्षा पांचवीं तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, तथापि इससे जुड़े कक्षा बारहवीं तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

द्वितीय पेपर कक्षा छठवीं से कक्षा आठवीं तक अध्यापन हेतु –

1. बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र – इस विषय से संबंधित प्रश्न 11 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों तक की शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सिखने और सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होता है।
2. भाषा-1 हिन्दी – इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षकों की भाषायी क्षमता, समझ एवं संप्रेषण कौशल के साथ-साथ दैनिक जीवन में भाषा के उपयोग का परीक्षण किया जाता है।

3. भाषा-2 (अंग्रेजी) – अंग्रेजी भाषा के कक्षा बारहवीं तक के स्तर तक के प्रश्न होते हैं।

4. अन्य विषय- 4.1 विज्ञान एवं गणित – इसके प्रश्न कक्षा छठवीं से कक्षा आठवीं तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, तथापि इससे जुड़े स्नातक तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

4.2 सामाजिक अध्ययन – इसके प्रश्न कक्षा छठवीं से कक्षा आठवीं तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, तथापि इससे जुड़े स्नातक तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

विशेष टीप – 1. यह परीक्षा शिक्षकों के नियुक्ति के लिये केवल अर्हता होता है, इसे शिक्षकीय पद पर नियुक्ति हेतु आदेश नहीं माना जा सकता है।

2. इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 80 प्रतिशत तथा अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांग अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है।

3. एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिये पात्रता की वैधता आजीवन होता है।

4. एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने अंक सुधार के लिये आगामी परीक्षा में पुनः शामिल हो सकता है।

संपर्क :-

उपर्युक्त परीक्षा के संबंध में अधिक जानकारी के लिये आवेदक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर से संपर्क कर सकते हैं या इसकी वेबसाइट <https://vyapamcg.cgstate.gov.in> से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।